13/6/25 आज पत्रावली प्रतिवादी के कार्यनामा पर पेश हुई
वकील उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष द्वारा 23 (3) आदेश/...
151 CPC पेश कर अवगत कराया कि विवादित
आराजी सम्पूर्ण विशेष रेल परियोजना (छोटी रेलवे
छोटी रेलवे लाइन से बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन
के लिए अवाप्त की जा चुकी है। उक्त आराजी में
अवाप्ति के पश्चात कोई हिस्सा शेष नहीं रहा है।
अतः दिनांक 5-8-24 को जारी अस्थाई डिक्री को ही
अंतिम डिक्री मानकर प्रकरण का निस्तारण किया जावे।
बहस सुनी गई। दावा वादिया पूर्व जारी अस्थाई डिक्री
दिनांक 5-8-24 के अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है।
निर्णय एवं डिक्री पृथक से लिखाये जाकर शामिल
पत्रावली किये गये। पत्रावली फैसल शुमार होकर
दाखिल दफ्तर हो।

डिकी व मुकदमे इब्तदाई

(ओ. 20 ए. 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **बाडी जिला धौलपुर (राज0)**

व इजलास **श्री भगवत शरण त्यागी (R.A.S.)**

1. तारा आयु 50 पुत्री अय्यूब खाँ पत्नी कमरूददीन जाति मुसलमान निवासी मौहल्ला गुमट कस्वा बाडी तह0 बाडी हाल निवासी सेखीपुर सागरपाडा धौलपुर जिला धौलपुर

बनाम

1. अहमद खाँ उर्फ छीतर
2. हबीबुल्लाह
3. नसरूल्लाह

} पुत्रगण अय्यूब खाँ जातिगण मुसलमान निवासीगण मौहल्ला रोढ गुमट कस्वा बाडी तह0 बाडी जिला धौलपुर

4. रहीसा पुत्री अय्यूब खाँ पत्नी अब्दुल अजीज जाति मुसलमान निवासी जमालपुरा गुमट कस्वा बाडी तह0 बाडी जिला धौलपुर
5. राजस्थान सरकार तामील जरिये लैण्डहोल्डर तहसीलदार तह0 बाडी

दावा दावत

मुकदमा नं. **84/2019**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई स्वंय

व हाजरी **श्री पवन गौड एड0** मिनजानिव मुददई **श्री रवि पचौरी एड0** मिनजानिव मुख्यलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है

दावा वादीया पूर्व में जारी की गई प्राथमिक डिकी दिनांक 05.08.2024 के अनुसार अन्तिम डिकी किया जाता है। प्राथमिक डिकी में अंकित आराजी ख0नं0 709 रकवा 2 बीधा 14 विस्वा बांके कस्वा बाडी नं0 1 तह0 बाडी में अंकित पूर्व इन्द्राज को कलमजद कर वादीया हिस्सा 1/8, प्रति0 सं0 1 हिस्सा 1/4, प्रति0 सं0 2 हिस्सा 1/4, प्रति0 सं0 3 हिस्सा 1/4, प्रति0 सं0 4 हिस्सा 1/8 के इन्द्राज दर्ज किये जावें।

नीज .... मुबलिग.................. बाबत ....खर्चा इस मुकददमे के मय सूद व शहर .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक .... को अदा करें।

वसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13 माह 06 साल 2025 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत उपखण्डाधिकारी

ओहदा उपखण्ड अधिकारी बाडी

बाड़ी (धौलपुर) राज.

मुददई	रूपया	न.पै.	मुददायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प मरजीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनतनामा वकील) रू0 खर्चा गवाहान फीस कमि नर बालत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महनताना वकील) रू0 खर्चा गवाहान फीस कमि नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

नोट इस फार्म पर कुल खर्चा हर रो फरीकेन का वाहे डिग्री के जरिये दिखाया गया हो या/नही खर्च करना चाहिये।

उपखण्डाधिकारी
बाड़ी (धौलपुर) राज.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी जिला – धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – **श्री भगवत शरण त्यागी (आर0ए0एस0)**

उनवान

तारा **बनाम** अहमद खाँ

1. तारा आयु 50 पुत्री अय्यूब खाँ पत्नी कमरूद्दीन जाति मुसलमान निवासी मौहल्ला गुमट कस्वा बाडी तह0 बाडी हाल निवासी सेखीपुर सागरपाडा धौलपुर जिला धौलपुर

वादीया :–

बनाम

1. अहमद खाँ उर्फ छीतर
2. हबीबुल्लाह
3. नसरूल्लाह

(1 से 3) पुत्रगण अय्यूब खाँ जातिगण मुसलमान निवासीगण मौहल्ला रोढ गुमट कस्वा बाडी तह0 बाडी जिला धौलपुर

4. रहीसा पुत्री अय्यूब खाँ पत्नी अब्दुल अजीज जाति मुसलमान निवासी जमालपुरा गुमट कस्वा बाडी तह0 बाडी जिला धौलपुर

प्रतिवादीगण :–

5. राजस्थान सरकार तामील जरिये लैण्डहोल्डर तहसीलदार तह0 बाडी

तरतीवी प्रतिवादीगण :–

उपस्थित वादीया के वकील – श्री पवन गौड एड0
प्रतिवादीगण के वकील – श्री रवि पचौरी एड0

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0ए0

दिनांक :– 13.06.2025

दावा सं. 84/2019

निर्णय

दावा वादीया दिनांक 05.08.2024 को प्राथमिक डिकी किया जाकर प्रश्नगत आराजी ख0नं0 709 रकबा 2 बीघा 14 विस्वा बांके कस्वा बाडी नं0 3 तह0 बाडी में वादीया हिस्सा 1/8, प्रति0 सं0 1 हिस्सा 1/4, प्रति0 सं0 2 हिस्सा 1/4, प्रति0 सं0 3 हिस्सा 1/4, प्रति0 सं0 4 हिस्सा 1/8 के कृषिजोत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु तहसीलदार बाडी को प्राथमिक डिकी की प्रति भेजी गई। तत्पश्चात उभयपक्ष द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया कि प्रश्नगत आराजी सम्पूर्ण वर्तमान में विशेष रेल परियोजना के लिए धौलपुर–सरमथुरा छोटी रेलवे लाईन से बडी लाईन में अमान परिवर्तन के लिए अवाप्त की जा चुकी है तथा उक्त विवादित आराजी में अब कोई भी हिस्सा शेष नहीं रहा है। उक्त आराजी का बंटवारा होना व कुर्रे बनाया जाना संभव नहीं रहा है। उक्त वाद के विचाराधीन रहते हुए वादीया एवं प्रति0 को उक्त विवादित आराजी

उपखण्डाधिकारी
बाडी ([illegible]) राज.

की अवाप्ति के फलस्वरूप प्राप्त होने वाला मुआवजा नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में प्राथमिक डिकी को ही अन्तिम डिकी माना जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जाने का निवेदन किया।

बहस उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की समाअत की गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज रेल परियोजना के लिए धौलपुर–सरमथुरा छोटी रेलवे लाईन से बडी लाईन में अमान परिवर्तन हेतु जारी गजट नोटीफिकेशन सं0 109 दिनांक 06.01.2025 में कम संख्या 50 पर प्रश्नगत आराजी अंकित है। जिसमें प्रश्नगत आराजी सम्पूर्ण को अवाप्त किया गया है। अवाप्ति के पश्चात प्रश्नगत आराजी का कोई भी अंश शेष नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में उभयपक्ष का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः आदेश है कि दावा वादीया पूर्व में जारी की गई प्राथमिक डिकी दिनांक 05.08.2024 के अनुसार अन्तिम डिकी किया जाता है। प्राथमिक डिकी में अंकित आराजी ख0नं0 709 रकवा 2 बीधा 14 विस्वा बांके कस्वा बाडी नं0 1 तह0 बाडी में अंकित पूर्व इन्द्राज को कलमजद कर वादीया हिस्सा 1/8, प्रति0 सं0 1 हिस्सा 1/4, प्रति0 सं0 2 हिस्सा 1/4, प्रति0 सं0 3 हिस्सा 1/4, प्रति0 सं0 4 हिस्सा 1/8 के इन्द्राज दर्ज किये जावें। निर्णय अनुसार अन्तिम डिकी जारी हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बाडी
उपखण्ड अधिकारी
बाडी (धौलपुर) राज.